मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 301/028/2005 भोपाल, दिनांक : 08.09.2017

<u>सदस्य पद पर नियुक्ति</u>

म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं निम्न लिखित जिला उपभोक्ता फोरम्स में सदस्य/सदस्यों के रिक्त एवं रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

कार्यालय	महिला के लिये आरक्षित	अनारक्षित	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	-	01	म.प्र राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल क्र.1	01	-	जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल क्र. 1
जिला उपभोक्ता फोरम, देवास	01	01	जिला उपभोक्ता फोरम, देवास
जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर
जिला उपभोक्ता फोरम, नीमच	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, नीमच
जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी
जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड	01	-	जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड
जिला उपभोक्ता फोरम, सीहोर	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, सीहोर
जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला
जिला उपभोक्ता फोरम, सागर	01	-	जिला उपभोक्ता फोरम, सागर
जिला उपभोक्ता फोरम, बालाघाट	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, बालाघाट
जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डलेश्वर	-	01	जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डलेश्वर

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1) एवं 16(1) के अनुसार आवश्यक अर्हता :- (1) आवेदनकर्ता की **आयु 35 वर्ष से कम नहीं** होना चाहिए (जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें (2) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए, तथा (3) आवेदक योग्यता, निष्ठावान और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, लोक कार्यकलाप या प्रशासन से संबंधित समस्याओं में कार्यवाही करने का पर्याप्त ज्ञान हो और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। (कृपया अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

जिला फोरम सदस्य के पद का **कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो, तक होगा। म.प्र. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य के पद का **कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो, तक होगा। सदस्य के पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान योग्य होगा। वर्तमान में जिला फोरम के सदस्य के लिये प्रति बैठक रूपये 800/- मानदेय तथा रूपये 200/- वाहन भत्ता की दर निर्धारित है। राज्य आयोग के सदस्य के लिये प्रति बैठक रूपये 1200/- मानदेय तथा रूपये 300/- वाहन भत्ता की दर निर्धारित है। उपरोक्त दर्शाये गये जिला फोरम में भोपाल क्र.1, ग्वालियर तथा सागर के अतिरिक्त सभी जिला फोरम में सप्ताह में अधिकतम 2-3 बैठक निर्धारित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पद पर नियुक्ति नियमित शासकीय सेवा नहीं है एवं प्रति बैठक मानदेय के अतिरिक्त सदस्यगण को (वेतन या वेतन भत्ते संबंधी) अन्य लाभ देय नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सदस्यगण को राज्य आयोग/जिला फोरम की निर्धारित बैठक दिनांक को 10.30 बजे से 5 बजे तक जिला फोरम में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सदस्यगण का शासन या राज्य आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना आवश्यक है।

नोट :- (1) जन्मतिथि, योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन पर कोई विचार न करते हुए प्राथमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा। (2) चयन समिति द्वारा सदस्यों की नियुक्ति हेतु उनकी योग्यता एवं व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु कोई भी प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा व साक्षात्कार सम्मिलित है, अपनाई जा सकती है।

आवेदन पत्र के संबंध में जानकारी हेतु स्तंभ क्र. 4 में दर्शित कार्यालय में संपर्क करें। म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल की वेबसाईट **<u>www.mpscdrc.mp.gov.in</u>** पर भी आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। आवेदन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित दिनांक **07.10.2017** तक स्तंभ क्र. 4 में दर्शित कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(हरेन्द्र सिंह)
रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल

रजिस्ट्रार
म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल (म.प्र.)

LAST DATE : 07-10-2017

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT TO THE POST OF MEMBER OF THE M.P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION.

Photo
(Put your signature on the photo)

To,
The Registrar,
M.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal.

1. Applicant's full Name (in block letters) :...

2. Father's / husband's name : ....

3. Date of birth :...
(should not be less than 35 yrs on the date of application, enclose certificate)

4. Present address with telephone number, if any : ....
....

5. Permanent address : ....
....

6. Educational qualification
(minimum bachelor's degree enclose certificates)

Name of examination		Subject	Year of passing of exam.	Name of University	Division
1.	Graduation				
2.	Post-Graduation				
3.	Others				

7. Present occupation : ....

8. Experience : must have adequate knowledge and experience of at least 10 years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration (enclose certificate) : ....

9. (a) Are you holding any public, private or political office or practicing a profession ? : ....
(b) if yes, are you willing to leave that office / profession on your appointment ? :...

Signature of the applicant

List of enclosers :

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ....में सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र

LAST DATE : 07-10-12017

फोटो

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,
.... (म.प्र.)

व्यक्तिगत-विवरण

1. नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : (अंकों में)..
(प्रमाण पत्र संलग्न करें) : (शब्दों में)...
4. स्थानीय पता/ : ....
5. दूरभाष : ....मोबाइल नं.......................................
6. स्थायी पता : ....
7. शैक्षणिक योग्यता (कम से कम स्नातक) ....

परीक्षा का नाम	शैक्षणिक विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

8. वर्तमान व्यवसाय : ....
9. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

(योग्यता, निष्ठावान और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा-कर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन से संबधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान हो और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है)

10. अन्य :

(क) क्या आप कोई लोक पद, निजी संस्थान/राजनैतिक दल में कोई पद धारित करते हैं या किसी ऐसे व्यवसाय में रत हैं, जिससे सदस्य के रूप में आपके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ....

(ख) यदि हाँ तो क्या आप पद पर रहते हुए ऐसे पद या व्यवसाय को छोडने को तत्पर हैं ....

आवेदक के हस्ताक्षर

:: घोषणा ::

मैं .... घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है। यदि मेरी नियुक्ति जिला फोरम में सदस्य के पद पर होती है तो मैं म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के आदेशानुसार अन्य जिला उपभोक्ता फोरम की बैठकों में उपस्थित होता रहूंगा/रहूंगी। मैंने विज्ञापन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है, जिनसे मैं सहमत हूँ।

अनुलग्न सूची -

आवेदक के हस्ताक्षर